E:\Chulet Letters\DD Letter.doc- 40 -

राजस्थान सरकार

निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक प.11(2)(3)/मो/आईसीडीएस/09–10/22044-76 जयपुर, दिनांक 25.3.10

उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त

विषय :– नवसृजित बाल विकास परियोजनाओं की कम्प्यूटराईज्ड मासिक प्रगति प्रतिवेदन भिजवाने बाबत।

विषयान्तर्गत लेख है कि वित्तीय वर्ष 2009–10 के दौरान राज्य में 26 नवीन बाल विकास परियोजनाएं प्रारम्भ की गई है। आशा है कि सभी नवीन परियोजनाओं में कार्यभार हस्तान्तरण का कार्य सम्पन्न हो चुका होगा तथा परियोजना ने विधिवत कार्य प्रारम्भ कर दिया गया होगा। भारत सरकार एवं राज्य सरकार को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित उपलब्धि की सूचना भिजवाई जानी है। अतः निर्देशित किया जाता है कि मार्च,2010 की नवीन परियोजनाओं की मासिक सूचनाएं परियोजनावार पृथक से भिजवाये। साथ ही परियोजना कार्यालय से 6 पृष्ठ की कम्प्यूटराईज्ड मासिक सूचनाएं भी पृथक से भिजवाएं। निदेशालय स्तर से नवीन प्रपत्र होने तक पुरानी परियोजना के साथ ही नई परियोजना का क्रम रखें। अर्थात पूर्व से प्रचलित प्रपत्र के क्रम संख्या 5 पर किसी परियोजना का नाम अंकित है तो क्र.सं. 6 पर उस परियोजना के द्वितिय भाग की सूचना संलित कर भिजवाएं। शेष परियोजनाओं का क्रम इसी अनुरूप परिवर्तित हो जाएगा।

भारत सरकार एवं राज्य सरकार को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित उपलब्धियों की सूचना 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत भी भिजवाई जानी है। अतः आपको यह भी निर्देश प्रदान किये जाते है कि मार्च,2010 की (केवल एक माह) जिला कलेक्टर को भिजवाई जाने वाली 20 सूत्री कार्यक्रम की प्रगति की एक प्रति निदेशालय को भी आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

Caver

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर